भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हज़ार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

बिहार BIHAR T 811947

Govt. of Bihar
District Registry Office ,Samastipur
Summary of Endorsement

This document was presented for registration on 16/10/2015 by Madan Mohan Rai
Stamp Duty of Rs. 5000/- and other Fees of Rs. 3420/- has been paid in it.
The document was found admissible. The Names, Photographs, Fingerprints and Signatures of the Executants and their Identifier, who have admitted execution before me, are affixed on the reverse page.
The document has been registered as Deed No. 85 in Book No. 4, Volume No. 2 on pages from 377 to 392 and has been preserved , total 16 pages in C.D. No. 1 / Year 2015

14

Date: 16/10/2015

Token No: 15680 /2015

Signature with Date
(Kameshwar Prasad Singh)
Registering Officer, Samastipur

कैलाश नन्दकिशोर वेलफेयर एण्ड एडुकेशनल ट्रस्ट

यह न्यास माह अक्टूबर से संचालित किया जा रहा है जो आज दिनांक 16.10.2015 ई0 को ट्रस्टकर्ता श्री मदन मोहन राय पिता नन्दकिशोर राय निवासी ग्राम सहुरी पोस्ट सैदपुर थाना चकमेहसी जिला समस्तीपुर, बिहार भारतीय नागरिक हैं जो ट्रस्ट न्यास के संस्थापक ट्रस्टी सदस्य के रूप में जाने जायेंगे ।

District Registry Office, Samastipur

Token Number 15680 | Reg. Year 2015 | Serial Number [illegible] | Deed Number [illegible]

PresType	Name	Photo	Thumb	Index	Middle	Ring	Little
Sig.	Madan Mohan Rai	Photo	Thumb	Index	Middle	Ring	Little
Presented By Sig.	Madan Mohan Rai मदनमोहन राय 16.10.15						
Trustee Sig.	Kailash Devi कैलाश देवी 16-10-15		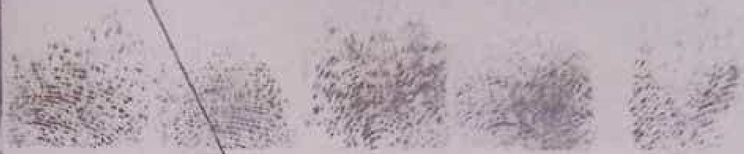				
Trustee Sig.	Karuna Kumari Dr						
Trustee Sig.	Neelu kumari	Photo	Thumb	Index	Middle	Ring	Little
Trustee Sig.	Sudha Devi	Photo	Thumb	Index	Middle	Ring	Little
Identified By Sig.	Mukund Prasad Singh मुकुन्द प्रसाद सिंह 16-10-2015						

Endorsement of Certificate of Admissibility

under Rule 5 : duly Stamped (or exempted from or does not require stamp duty) under the Indian
[…]t, 1899, Schedule I or I-A, No. '64'. Also admissible under section 26(a) of the B. T. Act.

[S]tamp duty paid under Indian Stamp Act	Rs.	5000/-	Amt.Paid By N.J Stamp Paper	Rs.	1000/-
Stamp duty paid under Municipal Act	Rs.	0/-	Amt.paid through Bank Challan	Rs.	7420/-

Registration Fee

A1	3020	C	0	H1b	0	K1a	0	Lii	0
A8	0	D	0	H2	0	K1b	0	Liii	0
A9	0	DD	0	I	0	K1c	0	Mb	0
A10	0	E	0	J1	0	K2	0	Na	0
B	0	H1a	0	J2	0	Li	0	TOTAL-	3020

LLR + Proc Fee

LLR	0
Proc.Fee	0
Total	0

Service Charge: 400

Total amont paid (Reg. fee+LLR, Proc+Service Charge) in Rs. - 3420

Registering Officer
Samastipur

[D]ate: 16/10/2015

Endorsement under section 52

[P]resented for registration at Registration Office, Samastipur Sadar on Friday, 16th October 2015 by Madan Mohan Rai [s]on Kishor Rai by profession Others. Status -

Signature/L.T.I. of Presentant

Date:16/10/2015

Registering Officer
Samastipur Sadar

Endorsement under section 58

Execution is admitted by those Executants and Identified by the person (Identified by 'Mukund Prasad Singh' age '57' Sex 'M', 'Sudisth Narayan Ojha Singh', resident of 'Vill+post-Shambhupatti, Thana+distt-Samastipur'.), whose Names, Photographs, Fingerprints and Signatures are affixed as such on back page / pages of the instrument.

Registering Officer
Samastipur

Date : 16/10/2015

Endorsement of Certificate of Registration under section 60

Registered at Registration Office Samastipur Sadar in Book 4 Volume No. 2 on pages on 377 -392 , for the year 2015 and stored in CD volume No. CD-1 year 2015 .The document no. is printed on the Front Page of the document.

Registering Officer
Samastipur

Date : 16/10/2015 Year : 2015 S.No. : 15545 SCORE Ver.3.0 Deed No. : 85
Token No. : 15680

सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकम्पा एवं आर्शीवाद से प्रेरित होकर मैं श्री मदन मोहन राय पिता नन्दकिशोर राय निवासी ग्राम सहुरी पोस्ट सैदपुर थाना चकमेहसी जिला समस्तीपुर, बिहार भारतीय नागरिक हूँ इस ट्रस्ट/न्यास ''कैलाश नन्दकिशोर वेलफेयर एण्ड एडुकेशनल ट्रस्ट'' ग्राम सहुरी पोस्ट सैदपुर थाना चकमेहसी जिला समस्तीपुर के निर्माण की घोषणा तथा उसके संचालन हेतु स्थायी कोष में 1,51,000/- (एक लाख एकावन हजार रूपये) प्रदान करता हूँ जो ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को सूपुर्द कर दिया हूँ तथा इस ट्रस्ट के निष्पादन की घोषणा करता हूँ :-

1. **ट्रस्ट(न्यास) का नाम :- ''कैलाश नन्दकिशोर वेलफेयर एण्ड एडुकेशनल ट्रस्ट''** के नाम से जानी जाएगी ।

2. **ट्रस्ट (न्यास) का पंजीकृत कार्यालय :-** ट्रस्ट का निबंधित कार्यालय ग्राम सहुरी पोस्ट सैदपुर थाना चकमेहसी जिला समस्तीपुर राज्य बिहार भारत में अवस्थित होगी या न्यास के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के सुविधा एवं सहमति अनुसार कार्यालय स्थांतरित की जा सकेगी ।

3. **ट्रस्ट/न्यास का कार्य क्षेत्र सम्पुर्ण भारत वर्ष होगा ।**

4. ट्रस्ट/न्यास का गठन :- ट्रस्टियों के नाम पूरा पता तथा पदनाम निम्न प्रकार है :-

मदन मोहन राय 16.10.15

District Registry Office, Samastipur

Token Number 15680	Reg. Year 2015	Serial Number 15545	Deed Number 85

PresType	Name	Photo	Thumb	Index	Middle	Ring	Little
Presented By	Madan Mohan Rai		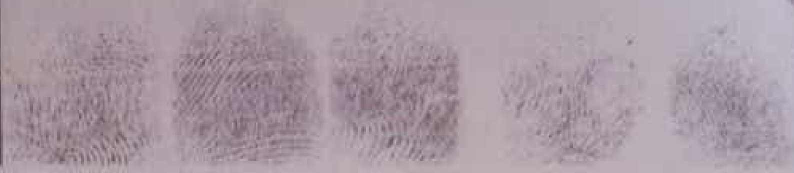				
Sig.	मदन मोहन राय 16.10.15 Madan Mohan Rai	Photo	Thumb	Index	Middle	Ring	Little
Sig.							
Trustee	Kailash Devi						
Sig.	कैलाश देवी 16-10-15						
Trustee	Karuna Kumari Dr	Photo	Thumb	Index	Middle	Ring	Little
Sig.							
Trustee	Neelu Kumari	Photo	Thumb	Index	Middle	Ring	Little
Sig.							
Trustee	Sudha Devi						
Sig.	सुधा देवी 16-10-15						
Identified By	Mukund Prasad Singh		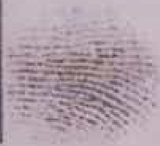				
Sig.	मुकुन्द प्रसाद सिंह 16-10-2015						

क्र0	नाम एवं पिता/पति	पूरा पता	पदनाम
1	श्री मदन मोहन राय उम्र 61 वर्ष पिता नन्दकिशोर राय 8986030881	ग्राम +पो0 सहुरी थाना चकमेहसी जिला- समस्तीपुर-848125	"अध्यक्ष"
2	श्रीमती कैलाश देवी उम्र 80 वर्ष पिता श्री कृतनन्दन चौधरी	ग्राम+पो0 बेलसंडी थाना- कल्याणपुर जिला- समस्तीपुर-848302	"सचिव"
3	श्रीमती सुधा देवी उम्र 57 वर्ष पिता श्री रामनरेश मिश्र	ग्राम+पो0 पटसारा थाना-पियर जिला- मुजफ्फरपुर	"कोषाध्यक्ष"
4	डॉ0 करूणा कुमारी उम्र 45 वर्ष पिता डॉ0 शहजानन्द राय	मो0 एम.आइ.जी.-61 ग्राम+पोस्ट-बराही थाना तिलका मांझी जिला -भागलपुर	'न्यासी"
5	श्रीमती नीलु कुमारी उम्र 36 वर्ष पिता श्री दशरथ प्रसाद सिंह	ग्राम बरमसिया देवघर थाना- वो जिला देवघर झारखंड	" न्यासी"

5. ट्रस्ट के उद्येश्य :-

यह ट्रस्ट शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं परमार्थिक कार्य तथा खेल कुद के विकास प्रचार-प्रसार एवं इसको क्रियान्वित करने के लिए गठित किया गया है तथा इसके निम्नलिखित उद्येश्य रहेंगे :-

01. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साहित्य, संगीत, नृत्य, नाटक एवं ललित कला की उन्नति के लिए संस्थानों की स्थापना एवं संचालन करना अथवा कराना ।

02. मानव संसाधन विकास के उद्येश्य हेतु विद्यालय, महाविद्यालय चिकित्सालय, सेवा-सदन एवं जाँच-केन्द्र, दन्त महाविद्यालय चिकित्सा महाविद्यालय, पशु महाविद्यालय, तथा उससे संबंधित जाँच केन्द्र, अभियंत्रण महाविद्यालय, परिचारिका प्रशिक्षण विद्यालय, महाविद्यालय, शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, बहुशिल्प महाविद्यालय एवं अन्य प्रकार के व्यवसायिक संस्थानों एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं संचालन करना अथवा कराना ।

03. मानव संसाधन को विकसित करने के लिए संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिक अधिकारों के लिए जागरूक करना, धरणा प्रदर्शन, बैठक, संगोष्ठी सहित जनहित से जुड़े समस्याओं के लिए संघर्ष करना एवं समस्याओं के निराकरण के लिए विधि संगत अर्जी प्रस्तुत करना ।

04. ग्रामीण विकास, शहरी विकास एवं गरीबी उन्मुलन कार्यक्रम, वन एवं पर्यावरण विकास, युवा मामले एवं संस्कृति सुरक्षा, महिला एंव बाल कल्याण मामले, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, अल्पसंख्यक विकास कार्यक्रम, मानवाधिकार कार्यक्रम, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम इत्यादि का काम करना ।

5. युवाओं में चारित्रिक एवं व्यक्तिक दृष्टि विकसित करना । यह संस्थान गैर लाभ, गैर राजनीतिक, गैर सम्प्रदायिक, गैर जातीय, गैर क्षेत्रियता मूल संगठन होगा ।

6. असहाय, निराश्रित, अपंग, बीमार, अनाथ, बृद्ध, विधवा, निर्धन व्यक्तियों के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऋण अथवा आर्थिक सहायता उपलब्ध करना एवं उनके लिए भोजन कपड़े, अनाज, रहने के व्यवस्था इत्यादि उपलब्ध करना अथवा कराना ।

7. समाज, राष्ट्र एवं भारतीय संस्कृति के चहुमुखी विकास हेतु नृत्यकला, गायनकला, संगीतकला, साहित्य सृजन एवं अन्य ललित कलाओं के विकास के लिए, विकास में संलग्न संस्थाओं को, किसी भी प्रकार से सहयोग देना, दिलाना अथवा ऐसा कार्य करना ।

8. प्राकृतिक आपदा जैसे आँधी-तुफान, भुकंप, ज्वालामुखी, प्लेग, महामारी इत्यादि से पीड़ित लोंगो को आर्थिक या अन्य प्रकार से सहायता करना । इसी प्रकार मानव मिर्मित विपत्तियों जैसे हड़ताल, युद्ध, दंगों से पीड़ित व्यक्तियों को नगद अथवा आवश्यक वस्तुओं का वितरण कार्य कर सहायता प्रदान करना अथवा कराना ।

K.L.Y 1319011- 25-12-2002

9. निर्धन, गरीब एवं अनाथ विद्यार्थियों को विद्याध्ययन हेतु आर्थिक सहयोग देना तथा मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन हेतु छात्रवृति, पुरस्कार, अनुदान पाठ्य सामाग्री, पुस्तकों, शुल्क, पठन एवं पाठन व्यय आदि में सहयोग देकर प्रोत्साहित करना तथा ऐसी संस्थाओं को आर्थिक अथवा पाठ्य सामाग्री के रूप में सहायता प्रदान करना अथवा कराना ।

10. समाज के गरीब, निर्धन, परिवार के पुत्रियों के विवाह में आर्थिक या अन्य प्रकार से सहायता करना अथवा कराना ।

11. इस ट्रस्ट के समान उद्येश्यों वाले व्यक्तियों, ट्रस्टों संस्थानों, समितियों सामुहिक अथवा निजी निकायों आदि को आर्थिक सहायता एवं अन्य प्रकार से सहयोग प्रदान करना अथवा कराना ।

12. ग्रामीण विकास कार्यक्रम, शुद्ध पेयजल आपूर्ति, ग्रामीण सड़क निर्माण, विद्यालय निर्माण, सिंचाई, कूप निर्माण, आवास निर्माण, सामुदायिक भवन निर्माण, शौचालय निर्माण, सुनिश्चित एवं क्रियान्वित करना तथा सदस्य संस्थाओं को तकनीकी ज्ञान प्रदान करना ।

13. ग्रामीण युवाओं / युवतियों को समाज कल्याण एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए परियोजना निर्माण एवं क्रियान्वयन हेतु प्रशिक्षण प्रदान करना तथा मानव समाज को राष्ट्र के विकास की मुख्य धारा से जोड़ना ।

14. महिलाओं/युवतियों के सामाजिक, शैक्षणिक (व्यवसायिक शिक्षा सहित) आर्थिक, भौतिक, नैतिक विकास हेतु कुटीर उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, लघु उद्योग, ग्रामोद्योग में प्रशिक्षण प्रदान कर कौशल/दक्षता का विकास करना तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों / गतिविधियों के द्वारा चारित्रिक एवं नैतिक विकास करना ।

15. शिक्षा को सर्व सुलभ बनाने हेतु आवासीय शिक्षा/अनवासीय शिक्षा केन्द्र की स्थापना करना / संचालन करना तथा बच्चों के बौद्धिक, मानसिक एवं शारिरीक विकास हेतु पाठशाला अध्ययन केन्द्र, व्यायामशाला, पार्क, बाग आदि बनाना ।

16.10.15

16. महिलाओं तथा युवतियों को नवीन तकनीकी के क्षेत्र में प्रशिक्षित करना ताकि उनकी भागीदारी आधुनिक उद्योगों की स्थापना के लिए सुनिश्चित किया जा सके ।

17. विकलांगो तथा मन्द बुद्धि बच्चों के शैक्षणिक विकास हेतु विशेष आवासीय विद्यालय की स्थापना करना एवं भारत सरकार/ राज्य सरकार तथा राष्ट्रीय / अन्तराष्ट्रीय / संगठनों / ट्रस्टों / एजेंसियों / संस्थाओं से सहयोग / अनुदान प्राप्त करना एवं कराना ।

18. समाज कल्याण, ग्रामीण विकास, मानव संसाधन विकास, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विकास, पर्यावरण सुरक्षा, विज्ञान एवं शहरी विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार राष्ट्रीय, अंतराष्ट्रीय, स्वैच्छिक संगठनों, संस्थाओं, एजेन्सियों, विश्व बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन, राष्ट्रीयकृत बैंकों से दान-अनुदान, ऋण एवं तकनीकी सहायता प्राप्त करना ।

19. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र की स्थापना करना एवं उसका संचालन तथा साक्षरता दर को बढ़ाने में सरकार का सहयोग प्रदान करना ।

20. ग्रामीण एवं शहरी युवाओं को व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना, केन्द्र सरकार, राज्य सरकार के कार्यक्रमों से अवगत कराना, स्व-रोजगार हेतु प्रोत्साहित करना तथा सरकारी सुविधा प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना ।

21. शिक्षित बेरोजगारों को ग्रामीण विकास एवं प्रबंधन, मानव संसाधन विकास एवं प्रबंधन में प्रशिक्षिण प्रदान करना तथा उन्हें ग्रामीण विकास हेतु कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु प्रोत्साहित करना ।

22. महिलाओं, बच्चों, विकलांगो, वृद्धों, युवकों एवं युवतियों के कल्याण हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन करना तथा उनके समाजिक एवं आर्थिक स्थिति को उन्नत एवं सुदृढ़ बनाना ।

23. संस्थान के कार्यालय भवन का निर्माण करना, राज्य स्तर जिला स्तर, प्रखण्ड स्तर पर शाखा कार्यालय की स्थापना करना एवं ग्रामीण विकास, सामाजिक कल्याण एवं मानव पुर्नवास कार्यक्रमों का संचालन करना ।

24. काल श्रमिक एवं महिला श्रमिक के समाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक विकास तथा पुर्नवास हेतु कार्यक्रमों का संचालन करना ।

25. नशा उन्मुलन हेतु जागरूकता कार्यक्रम नशा मुक्ति परामर्श केन्द्र, नशा मुक्ति अस्पताल एवं पुर्नवास केन्द्र की स्थापना करना एवं एड्स पर जागरूकता शिविर का आयेाजन करना, एवं उसके रोकथाम हेतु प्रचार-प्रसार का कार्य करना ।

26. भुमि, जल पर्यावरण, वन एवं पशु पक्षियों के संरक्षण हेतु कार्यक्रम का क्रियान्वयन करना ।

27. पशु, स्वास्थ्य केन्द्र, परामर्श केन्द्र का संचालन करना एवं रोग मुक्त, जीवन हेतु चिकित्सा सुविधा मुहैया करना ।

28. पंचायतों के सैशक्तिकरण हेतु कार्यक्रम सुनिश्चित करना एवं निर्वाचित जन प्रतिनिधियों को ग्रामीण विकास के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करना और परियोजन निर्माण में तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना और जन प्रतिनिधियों से ग्रामीण विकास कार्यक्रम संचालित करने हेतु निधि प्राप्त करना ।

29. ट्रस्ट हेतु समय-समय पर चल एवं अचल सम्पत्ति को प्राप्त करना, क्रय करना, निर्माण-पुनिर्माण करना, जीर्णोधार करना, सुध ार करना, विकास करना, किराये पर लेना एवं देना, विक्रय करना, ऐसी कार्यवाही जो ट्रस्ट के हित में हो तथा जिससे ट्रस्ट को आर्थिक आय हो तथा जिससे ट्रस्ट के उक्त उद्येश्यों की पुर्ति में सहयोग प्राप्त हो ।

30. अन्य वो सभी समकालिक कार्य एवं उद्येश्य जो समाज के हित एवं विकास हेतु आवश्यक हो न्यास उद्येश्य के रूप में शामिल एवं स्वीकार्य होगा ।

31. विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक नाटक एवं संगीत की व्यवस्था , पढाई एवं प्रशिक्षण का प्रबंध करना ।

32. संस्कृत महाविद्यालय उच्च विद्यालय एवं मध्य विद्यालय की स्थापना, संचालन एवं इसकी अच्छी व्यवस्था करना ।

33. विकास कार्य हेतु आई. टी. आई. कौशल विकास केन्द्र, बेराजगारी को दुर करने एवं अन्य योजनाओं की जानकारी प्रशिक्षण एवं उत्प्रेरित करना ।

34. गाय, भैंस डेयरी स्थापित करवाना तथा ऋण उपलब्ध कराना एवं दुध संग्रह का प्रंबध कराना ।

35. दुध पर आधारित अन्य प्रकार के कारोबार करना, दही मिठाई छेना ईत्यादि का प्रबंध कर दुध उत्पादकों को मदद प्रशिक्षण करवाना ।

36. वर्मी कम्पोस्ट हरा खाद वृक्षारोपण का प्रबंध करना ।

37. आपदा पीड़ितो को हर संभव मदद करना ।

38. मुर्गी पालन, मछली पालन एवं बकरी पालन ईत्यादि का प्रबंध करना ।

39. खेल-खेलाड़ियों के विभिन्न श्रेणी की प्रतियोगिता, प्रशिक्षण तथा खेल मैदान को विकसित करना तथा उन्हें छात्रावास में रहकर नीजी या भाड़े पर मैदान रखकर खेल खिलवाना ।

40. पुराने मंदिरों का जिर्णोधार तथा नया निर्माण, सास्कृतिक कार्य एवं धार्मिक कार्य तथा विभिन्न प्रकार के भजन कीर्तन एवं संगीत व नाटक का भी कार्य कराएगी ।

बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की गठन एवं नियमन :-

01 ट्रस्टियों की अधिकतम संख्या :-

बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के ट्रस्टियों की संख्या 5 (पाँच) रहेगी । उक्त पाँच ट्रस्टियों में कुल तीन अध्यक्ष-सह-न्यासकर्ता, सचिव-सह न्यासी एवं कोषाध्यक्ष-सह-न्यासी तथा 2 (दो) न्यासी ट्रस्टी रहेंगे । उक्त घोषणा-पत्र में घोषित अध्यक्ष-सह-न्यासकर्ता इस ट्रस्ट के आजीवन मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी बने रहेंगे, तथा वे जब तक स्वयं लिखित त्यागपत्र न दे देंगे, अथवा शारीरीक, मानसिक रूप से या कानूनी तौर पर अयोग्य घोपित न हो जाये तब तक आजीवन मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी बने रहेंगे । शेष न्यासी ट्रस्टी का चुनाव समय-समय पर ट्रस्टियों के बहुमत के अधार पर किया जाता रहेगा ।

02. ट्रस्टी बनने की योग्यता :-

इस ट्रस्ट के उद्येश्य के प्रति श्रद्धा रखनेवाला समर्पित व्यक्ति पुरूष हो या महिला हो, ट्रस्ट का ट्रस्टी बनाया जा सकेगा किन्तु उसकी आयु कम से कम 21 वर्ष (इक्कीस वर्ष) व्यस्क होना आवश्यक है ।

03. नांमाकन :-

अध्यक्ष-सह-न्यासकर्ता अपने जीवनकाल में ही उत्तराधिकारी नांमाकित कर सकेंगे । यदि यह किनहीं परिस्थितियों में संभव न हो सका तो उक्त पद पर न्यास के ट्रस्टियों द्वारा सर्वानुमति के निर्णय से रिक्त पद पर ट्रस्टी की नियुक्ति की जायेगी ।

04. ट्रस्टी को पदच्युत करने की प्रक्रिया :-

यदि कोई ट्रस्टी ट्रस्ट के हितों के प्रतिकुल कार्य करता है, या ऐसा कार्य करता हो जिससे ट्रस्ट की संपत्ति या प्रतिष्ठा को किसी प्रकार की हानि हो रही हो अथवा शारीरीक एवं मानसिंक रूप से ट्रस्टी के कार्य करने के आयोग्य हो अथवा इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अधीन जो व्यक्ति ट्रस्टी बनने योग्य नहीं रह गया हो तो आजीवन ट्रस्टियों के बहुमत से सफाई का मौका देकर ऐसे ट्रस्टी को बोर्ड ऑफ ट्रस्ट से निकाला जा सकेगा ।

05. ट्रस्टियों के अधिकार एवं कर्तव्य :-

ट्रस्ट की उपार्जित समस्त चल एवं अचल संपतिों ट्रस्ट के नाम से रहेगी, किन्तु उपरोक्त संपतियों को बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को ट्रस्ट के हित में उपयोग करने, विक्रय करने, खरीदने, हस्तांतरित करने, किराये पर देने अथवा लेने का अधिकार रहेगा। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को अधिकार होगा कि वे ट्रस्ट के हित में विभिन्न व्यक्तियों, सरकारी, अर्द्धसरकारी, निजी संस्थाओं आदि से नगद अथवा वस्तुओं के रूप में अथवा अन्य प्रकार से स्वैच्छिक दान, ग्रान्ट, सहायता, अंशदान आदि प्राप्त कर सकेंगे एवं उपरोक्तानुसार प्राप्त राशि को ट्रस्ट के उद्येश्यों की पुर्ति हेतु व्यय या उपयोग कर सकेंगे।

बोर्ड ऑफ टट्रस्टीज को ऐसे समस्त कार्य करने की स्वतंत्रता रहेगी, जिससे ट्रस्ट के उद्येश्यों की पुर्ति संभव हो, इसमें ट्रस्ट की आय इस इन संस्थाओं एवं समितियों का संचालन ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के निर्देशानुसार होगा एवं परियोजना समिति की कार्यप्रणाली एवं गतिविधियों को समय से पुर्व भंग कर सकेगी। लेकिन ऐसी भंग की गयी परियोजना समितियों का पुर्नगठन अधिकतम 6 माह में करना आवश्यक होगा तथा जब तक परियोजना समिति/समितियों का पुर्नगठन नहीं हो जाता, तब तक उसका संचालन बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के द्वारा किया जायेगा।

(क) अध्यक्ष-सह-न्यासकर्ता के अधिकार एवं कर्तव्य :-

अध्यक्ष-सह-न्यासकर्ता संस्था का मुख्य पदाधिकारी, एकता का प्रतीक होगा और ट्रस्ट की प्रतिष्ठा, सुरक्षा, पवित्रता और समग्रता का प्रहरी होगा तथा सभी प्रकार की बैठक की अध्यक्षता करेंगे और किसी प्रस्ताव पर बराबर मतदान की स्थिति में निर्णायक मत देने के अधिकारी होंगे। ट्रस्ट के किसी विषय पर विचार-विमर्श के लिए बैठक बुलाने एवं कार्यक्रम तय करने के लिए निर्देश देने

का अधिकार अध्यक्ष-सह-न्यासकर्ता को होगा जिसका अनुपालन ट्रस्ट में घोषित सभी व्यक्तियों को मानना अनिवार्य होगा ।

(1) अध्यक्ष-सह-न्यासकर्ता ट्रस्ट के मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी होंगे तथा ट्रस्ट के दैनिक प्रशासन से संबंधित सभी लेख पत्रों पर हस्ताक्षर करने क लिए सर्वोच्च पदाधिकारी होंगे तथा सभी मामलों में एक सर्वत्र अधिकारी के अधिन रहकर ट्रस्ट का प्रतिनिधित्व करेंगे ।

(2) ट्रस्ट के किसी विषय पर विचार के लिए बैठक बुलाने के लिए निर्देश देने का अधिकार अध्यक्ष-सह-न्यासकर्ता को होगा उसके निर्देशानुसार सचिव-सह-न्यासी को बैठक बुलाना अनिवार्य होगा । असामान्य स्थिति में ट्रस्ट को आवश्यक कार्यों को सम्पन्न करना । ट्रस्ट के नियमों के प्रतिकुल कार्यवाही को रोकना ।

(3) ट्रस्ट के सभी अभिलेखों को सुरक्षित रखना एवं हस्ताक्षर करना ।

(4) ट्रस्ट के समस्त आय-व्यय का लेखा तैयार करना तथा उनका अंकेक्षण किसी मान्य सनदी लेखाकार से कराना एवं उसकी सम्पुष्टि ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में कराना तथा वार्षिक बजट प्रस्तुत करना ।

(5) बैठक में पारित किये गये प्रस्तावों का सम्पादन/अनुपालन करना ।

(6) ट्रस्ट की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सुझाव देना एवं बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के समक्ष प्रस्तुत करना तथा ट्रस्ट के विकास हेतु प्रतिधित्व करना ।

(7) संस्था के कार्यक्रमों कार्यों के सम्पादन हेतु अधिकारियों / कर्मचारियों की नियुक्ति करना ।

(ख) सचिव-सह-न्यासी के अधिकार एवं कर्तव्य :-

(1) सचिव-सह-न्यासी ट्रस्ट की सभी बैठकों का आयोजन करना तथा अध्यक्ष-सह-न्यासकर्ता के परामर्श से बैठकों के लिए एजेन्डा / कार्यक्रम बनाना ।

(2) ट्रस्ट की ओर से संस्थापक-सह-न्यासकर्ता के निर्देश पर पत्राचार करना ।

(3) बैठक में पारित किये गये प्रस्तावों का सम्पादन / अनुपालन करना ।

(4) सचिव-सह-न्यासी ट्रस्ट की ओर से संस्थापक-सह-न्यासकर्ता के निर्देशानुसार न्यास हित में न्यास डिड में दैनिक कार्य सम्पादित करना एवं कानूनी कार्यवाही का क्रियान्वयन करना ।

(ग) कोषाध्यक्ष-सह-न्यासी :-

ट्रस्ट का आय-व्यय, प्राप्ति, भुगतान, सम्पत्तियों, निधियों आदि के हिसाब-किताब के लिए विभिन्न लेखा पुस्तकें, रसीद, भाउचर्स, रोकर, खाता बही, नकल, अचल सम्पत्ति रजिस्टर एवं अन्य रजिस्टर का लेखा-जोखा रखना तथा उपरोक्त लेखा पुस्तकों का ट्रस्टीयों द्वारा अधिकृत किसी अंकेक्षक से प्रति वर्ष अंकेक्षण कराना । प्रतिवर्ष का लाभ-हानि, खाता तथा स्थिति विवरण पत्रक ट्रस्टीयों के समक्ष प्रस्तुत करना ।

6. ट्रस्ट (न्यास) कोष का संचालन :-

न्यास के नाम प्राप्ति राशि किसी राष्ट्रीयकृत / निबंधित बैंक या डाकघर में रखा जायेगा । न्यास के खाता न्यास के सचिव-सह-न्यासी के हस्ताक्षर से खोला जायेगा । खाता का संचालन सचिव-सह-न्यासी के हस्ताक्षर से होगी तथा साथ ही साथ भविष्य में खाता संचालन में किये गये परिवर्तन की सूचना न्यास के अध्यक्ष-सह-न्यासकर्ता या सचिव द्वारा दी जायेगी ।

7. ट्रस्ट का वित्त वर्ष :-

ट्रस्ट का वित्तीय वर्ष प्रति वर्ष 31 मार्च को समाप्त माना जायेगा ।

8. ट्रस्टीयों की सभा एव कोरम :-

ट्रस्ट को विभिन्न मुद्दो पर विचार करने हेतु ट्रस्टीकरण समय-समय पर बैठक का आयोजन करेंगे तथा उसमें लिये गये निर्णयों के आधार पर उन्हें क्रियान्वित करेंगे ।

उपरोक्त कार्यों को वे विभिन्न ट्रस्टीयों को परिपत्रों के रूप में भेजकर भी निष्पादित कर सकेंगे , किन्तु ट्रस्टीयों की वर्ष में कम से कम दो(2) या प्रत्येक (6) छः महीने में कम से कम घोषित तीन आजीवन ट्रस्टीयों के साथ-साथ घोषित विशेष ट्रस्टीयों की संख्या का एक तिहाई के बराबर ट्रस्टी उपस्थित होने पर ही सभा का कोरम पुरा माना जायेगा । अन्यथा स्थगित करना होगा ।

सामान्य बातें :-

01. ट्रस्ट की समस्त गतिविधियों के लिए प्रबंध तथा प्रशासन संबंधी अधिकार बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में निहित होंगे ।

02. संदेह दुर करने व्यक्ति समाज, समुदाय विशेष के लिए न होकर सभी जाति, धर्म, संप्रदायों तथा वर्गों के व्यक्तियों के हितों के लिए की गयी है ।

03. ट्रस्ट की बैठकों की कार्यवाही का एक रजिस्टर रखा जायेगा, जिसमें विभिन्न बैठकों में लिए गये निर्णयों को लिपिबद्ध किया जायेगा तथा उस पर अध्यक्ष-सह-न्यासकर्ता एवं सचिव-सह-न्यासी के हस्ताक्षर होंगे ।

04. ट्रस्ट की सभी कार्यवाहीयों एवं व्यवहार का संचालन ट्रस्ट के नाम से ही किया जायेगा ।

05. इस ट्रस्ट डीड में या ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाये गये विभिन्न नियमों या उपनियमों में परिवर्तन या परिवर्धन आवश्यक हुआ तो ट्रस्टीयों द्वारा 3/4 (तीन-चौथाई) बहुमत से आवश्यक परिवर्तन, संशोधन, परिवर्धन किया जा सकेगा ।

06. ट्रस्ट के इस घोषणा पत्र में यदि कोई बात स्पष्ट नहीं है या लिखने में छुट गयी हो तो उसका निर्णय भारतीय ट्रस्ट अधिनियम अथवा उस समय प्रचलित कानून के अनुसार किया जायेगा ।

07. ट्रस्ट की बैठक में सभी निर्णय बहुमत से लिये जायेंगे, किन्तु इस हेतु बैठक में किसी मुद्दे पर समान मत होने पर सभाध्यक्ष को अतिरिक्त मत देने का अधिकार रहेगा ।

08. इस ट्रस्ट की चल अथवा अचल सम्पत्ति का उपयोग कोई भी ट्रस्टी अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए नही कर सकेगा ।

09. ट्रस्टीगण इस ट्रस्ट को दान देनेवाले के हितार्थ समय-समय पर ट्रस्ट के लिए आयकर अधिनियम में ऐसी छुट प्राप्त कर सकेगा जो कि उस समय लागु हो ।

10. यह ट्रस्ट अखण्डनीय है ।

अत: तदानुसार आज ईश्वर के आर्शीवाद के 16 अक्टुबर सन् 2015 ई0 को इस ट्रस्ट की घोषणा ट्रस्ट के संस्थापक व आजीवन ट्रस्टी ने निम्नलिखित ट्रस्टीयों एवं साक्षियों की उपस्थिति में सोच-समझकर अपनी स्वेच्छा एवं परिणामों की जानकारी से इस ट्रस्ट को सर्वोपयोगी एवं उज्जवल भविष्य प्रदान करने के उद्येश्य से हस्ताक्षर कर निष्पादन किया ।

गवाह :- [handwritten signatures] 16-10-15

ट्रस्टीगण के हस्ताक्षर 16.10.15

कैलाश देवी 16-10-15

16-10-15